परिवाद संख्या–46/2014
कम्प्यूटर नं०–22/2014
UPMB010014652014
श्रीमती लक्ष्मी बनाम उग्रेन आदि

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नं०–1)/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम महोबा।

पीठासीन अधिकारी– ध्रुव राय, (एच०जे०एस०)

UPMB010014652014

विशेष वाद/परिवाद संख्या–46/2014
कम्प्यूटर संख्या–22/2014
UPMB010014652014

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री परमानन्द कोरी निवासी मुहाल करारीपुरा, कस्बा जैतपुर, थाना कुलपहाड़, जिला महोबा, उ०प्र० ----------परिवादिनी।

बनाम

1–उग्रेन पुत्र गोवर्धन निवासी मुहाल करारीपुरा, जैतपुर, बेलाताल, थाना कुलपहाड़, जिला महोबा, उ०प्र०। --------- अभियुक्त।

धारा–323, 324, 504, 506
392, 387 भा0 दं0 सं0
थाना–कुलपहाड़, जिला–महोबा।

राज्य की ओर से अधिवक्ताः– श्री तेज प्रताप पचौरी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता।

परिवादी की ओर से अधिवक्ताः– श्री दशरथ राजपूत, एडवोकेट।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ताः– श्री चन्द्रशेखर पाठकार, एडवोकेट।

परिवाद से सम्बन्धित विवरण संक्षेप में

घटना दिनांक	22.08.2014	समय	08:30 बजे रात
परिवाद संस्थापना दिनांक		09.09.2014	
आरोप विरचित होने का दिनांक		23.07.2018	

आरोप उपरान्त परीक्षित अभियोजन साक्षीगण का विवरण

पी०डब्लू०–1	श्रीमती लक्ष्मी	06.11.2024
पी०डब्लू०–2	श्रीमती कल्पना	06.02.2025
पी०डब्लू०–3	अनिल अनुरागी	16.04.2025

बयान अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा–313 दं0 प्र0 सं0 दिनांक	14.05.2026

बचाव साक्षीगण का विवरण

अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य देना व्यक्त किया गया, परन्तु पर्याप्त अवसर के बावजूद कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

बहस दिनांक	22.05.2026
निर्णय दिनांक	27.05.2026
समयावधि	11 वर्ष 8 माह 18 दिन

निर्णय

1. अभियुक्त उग्रेन पुत्र गोवर्धन का विचारण इस विशेष परिवाद संख्या–46/2014 श्रीमती लक्ष्मी बनाम उग्रेन आदि में परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त उग्रेन को अन्तर्गत धारा–323, 324, 504, 506, 392, 387 भा०दं०सं० विचारण हेतु तलब किये जाने के उपरान्त सुनिश्चित हुआ।

अभियोजन कथानक

2. परिवादिनी के परिवाद का संक्षेप सार इस प्रकार है कि परिवादिनी मुहाल करारीपुरा, जैतपुर, बेलाताल, थाना कुलपहाड़, जिला महोबा की निवासिनी है। **घटना दिनांक–22.08.2014 को समय करीब 8.00 बजे परिवादिनी का पुत्र अनिल उम्र 12 वर्ष पास की ही दुकान पर सौदा लेने गया था कि दुकान पर पूर्व से बैठे उग्रेन पर चेहरे पर परिवादिनी के पुत्र की टार्च की रोशनी धोके से पड़ गयी, जिस पर आरोपी उग्रेन परिवादिनी के पुत्र को मां–बहिन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगा तथा दो चप्पल मार दीं**, जिस पर प्रार्थिया का पुत्र रो कर घर आया तथा सारी घटना पूरे परिवार के बताई, जिस पर परिवादिनी व परिवादिनी की विवाहित पुत्री कल्पना व मधु व अनिल आरोपी के घर शिकायत करने गये। आरोपी के पिता गोवर्धन को सारी शिकायत बताई। इतने में आरोपी भी बाहर निकल आया तथा परिवादिनी व परिवादिनी की पुत्रियों को मादरचोदी, रण्डी इत्यादि की गालियां देने लगा, जिस पर परिवादिनी ने कहा कि अपनी मां–बहिन को मादरचोदी, रण्डी कहना, जिस पर गोवर्धन ने ललकार कर कहा कि मारो, मादरचोदियों को, जिस पर उग्रेन, अशोक व भूरा पुत्रगण गोवर्धन व गोवर्धन स्वयं परिवादिनी व परिवादिनी की दोनों पुत्रियों को लात जूता से मारने लगे तथा आरोपी उग्रेन ने परिवादिनी की विवाहिता पुत्री कल्पना के गले से 07 फल का मंगल सूत्र सोने का लगभग 01 तोला छीन लिया। परिवादिनी व उसकी पुत्रियां चिल्लाई तो मुहल्ला के कई व्यक्ति आ गये तथा बीच बचाव किया व ललकारा। मुहाल के ही राकेश पुत्र धनी व नन्दू पुत्र किस्सी व चन्दू पुत्र बन्टेलाल निवासी दरेरापुरा, कस्बा जैतपुर व कमलेश निवासी सकोरा ने घटना को देखा व बीच बचाव किया तथा विपक्षीगण को ललकारा, जिस पर आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। परिवादिनी व उसकी दोनों

पुत्रियां घटना दिनांक को ही पुलिस चौकी जैतपुर घटना की शिकायत करने गयीं तो पुलिस वालों ने कहा कि सुबह आना। जब प्रार्थिया व उसकी दोनों पुत्रियां दूसरे दिन सुबह पुलिस चौकी जैतपुर गयीं तो उपस्थित मुंशी जी ने लिखित तहरीर रख ली तथा आश्वासन दिया कि हम आरोपीगण को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे, आप लोग घर जायें, कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक–28.04.2014 को, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कुलपहाड़ में प्रार्थना पत्र दिया गया, परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक–30.08.2014 को पुलिस अधीक्षक महोबा को रजिस्टर्ड सूचना प्रेषित की गयी जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि उपरोक्त अभियुक्तगण का यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा–392, 323, 504, 506 की हद तक पहुंचता है।

3. परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के उपरान्त व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से संतुष्ट होते हुए तथा अभियुक्त उग्रेन को विचारण हेतु आहूत किये जाने के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त आधार पाते हुए विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांकित–12.06.2015 के माध्यम से अभियुक्त उग्रेन को अन्तर्गत धारा–392, 323, 504, 506, 387, 324 भा०दं०सं० विचारण हेतु आहूत किया गया।

4. अभियुक्त के न्यायालय उपस्थित होने के उपरान्त विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर आरोप अन्तर्गत धारा– 323, 324, 504, 506, 392, 387 भा0 दं0 सं0 विरचित करने के पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त अभियुक्त पर दिनांक–23.07.2018 को सम्बन्धित अपराध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया।

5. परिवादी/अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का विवरण अग्र प्रकार है–

क्रमांक	**साक्षी जिसकी साक्ष्य अंकित हुई है व जिसके द्वारा दस्तावेज एवं वस्तु प्रदर्श को साबित किया गया है।**	**प्रस्तुत दस्तावेज जिसको साक्षी द्वारा साबित किया गया है।**	**अंकित प्रदर्श**	**साक्षी का प्रकार चक्षुदर्शी/अनुश्रुत / पीड़ित**
1.	पी०डब्लू०–1 श्रीमती लक्ष्मी	परिवाद पत्र	प्रदर्श क–1	वादिनी मुकदमा
2.	पी०डब्लू०–1 श्रीमती लक्ष्मी	रजिस्ट्री रसीद	प्रदर्श क–2	वादिनी मुकदमा
3.	पी०डब्लू०–1 श्रीमती लक्ष्मी	पुलिस अधीक्षक को दिया गया प्रार्थना पत्र	प्रदर्श क–3	वादिनी मुकदमा

6. अभियोजन साक्ष्य उपरान्त बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा–313 दं0 प्र0 सं0 दिनांक–14.05.2026 को अंकित किये गये जिसमें अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि मुहल्ले की रंजिश के कारण परिवाद दाखिल किया गया है तथा मुहल्ले की रंजिश के कारण झूँठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोष होना भी बताया गया है। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य देना व्यक्त किया गया,

परन्तु पर्याप्त अवसर के बावजूद कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

7. न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, एवं परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को तथा अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को श्रवण किया गया।

अभियोजन पक्ष के तर्क

8. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि अभियोजन के दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त उग्रेन द्वारा परिवादिनी व उसकी पुत्रियों को लात घूंसों से मारा गया तथा धारदार हथियार से मारपीट की गयी व मां बहिन की गालियां देकर अपमानित किया गया तथा पुत्रियों को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त किया गया व कल्पना के गले से 07 फल वाला मंगलसूत्र छीन लिया गया तथा अवैध रूपयों की मांग की गयी। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाए।

अभियुक्त पक्ष के तर्क

9. अभियुक्त पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि अभियुक्त निर्दोष है तथा उनके द्वारा ऐसी कोई घटना कारित नहीं की गयी है। अभियुक्त द्वारा कोई लूटपाट की घटना नहीं की गयी है और न ही गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी है। अभियुक्त को मुहल्ले की रंजिश के कारण झूँठा फंसाया गया है। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त मानसिक रोगी है तथा उसके द्वारा जानबूझकर कोई घटना कारित नहीं की गयी है। अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

10. न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली तथा विधि के प्राविधान का सम्य्क रूपेण परिशीलन किया गया।

प्रकरण में प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य का विवरण

11. अभियोजन/परिवादी पक्ष की ओर से अभियुक्त पर लगे आरोपों को साबित करने के सम्बन्ध में जिन साक्षीगण की साक्ष्य अंकित कराई गई है, उन साक्षीगण की साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण अग्र प्रकार से अंकित किया जा रहा है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–1 श्रीमती लक्ष्मी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना साक्ष्य दिनांक से लगभग 10 वर्ष पूर्व की है। घटना के दिन रात्रि 8 बजे साक्षिया का लड़का अनिल दुकान पर सौदा लेने गया था। **साक्षिया का लड़का अनिल टार्च लेकर जा रहा था, तभी दुकान के बाहर बैठे अभियुक्त उग्रेन के मुंह पर टार्च की रोशनी धोखे से पहुंच गयी, तब उग्रेन ने साक्षिया के लड़के अनिल को भद्दी–भद्दी गालियां दीं और दो–तीन चप्पलें मार दीं।** तब साक्षिया का लड़का अनिल रोते हुए घर आया और घटना के बारे में साक्षिया को बताया, तब साक्षिया अनिल को लेकर उग्रेन के घर गयी और उनके घर वालों से शिकायत की और पूछा कि उसके लड़के को क्यों मारा, तब उग्रेन, अशोक व भूरा व गोवर्धन ने साक्षिया को भद्दी भद्दी गालियां दीं और मारने

लगे। साक्षिया और अनिल के साथ साक्षिया की लड़की कल्पना व मधू भी उग्रेन के घर गये थे। तब उग्रेन व उसके घर वालों ने साक्षिया और लड़की को भी मारापीटा और गालियां दीं और साक्षिया की शादीशुदा लड़की कल्पना का गला पकड़ लिया और गले में पहने मंगलसूत्र सोने का जो 7 फली का लगभग 1 तोले का था, उग्रेन ने और भाईयों ने छीन लिया। इस घटना का शोरगुल सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग बीच बचाव करने आ गये, जिनमें राकेश, नन्दू, चन्दू पुत्र बन्टेलाल आ गये थे और बीच बचाव किया था। इस घटना की रिपोर्ट साक्षिया ने पहले पुलिस में की, किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर साक्षिया ने एस०पी० महोबा को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसके बाद साक्षिया ने न्यायालय में मुकदमा लिखाया था। साक्षिया ने परिवाद पत्र कागज संख्या–3क/1 लगायत 3क/3 को प्रदर्श क–1 के रूप में तथा रजिस्ट्री रसीद 4ख को प्रदर्श क–2 व पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि प्रदर्श क–3 को साबित किया है। घटना में साक्षिया के पुत्र अनिल को चोट आई थी, व डाक्टरी हुई थी।

13. साक्षिया पी०डब्लू०–2 श्रीमती कल्पना ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि घटना दिनांक–22.08.2014 को 8.00 बजे रात्रि की है। घटना के समय साक्षिया अपने मायके में अपने घर में थी। घटना के समय साक्षिया का भाई अनिल दुकान पर गया था और उसके भाई की टार्च की रोशनी उग्रेन की आंख में लग गयी थी, तब उग्रेन ने साक्षिया के भाई अनिल को मां–बहिन की गालियां दीं। **साक्षिया के भाई ने घर आकर बताया और साक्षिया की मां घटना वाली जगह पहुंची तो वहाँ भूरा, अशोक, उग्रेन व गोवर्धन ने उन लोगों के साथ मारपीट की और उग्रेन ने साक्षिया के गले से एक तोला सेने का 7 फली का मंगलसूत्र छीन लिया। तब मोहल्ले के एक–दो लोग आ गये और उन्होंने बीच बचाव किया**। इस घटना की शिकायत साक्षिया ने थाने में की, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, तब साक्षिया की मां ने न्यायालय में आकर उग्रेन आदि के विरूद्ध मुकदमा लिखाया था।

14. साक्षी पी०डब्लू०–3 अनिल अनुरागी ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि घटना दिनांक–22.08.2014 को रात 8 बजे की है। उस समय साक्षी अपने घर से गुटखा लेने सुरेश की दुकान पर जा रहा था। उस समय बिजली नहीं थी, इसलिए साक्षी अपने मोबाईल की टार्ज जलाये हुए था। **साक्षी के मोबाईल की टार्च की रोशनी रास्ते में उग्रेन पुत्र गोवर्धन की आंखों में पड़ गयी, जिससे उग्रेन नाराज हो गया था और साक्षिया ने उग्रेन से यह बताया था कि मैंने तुम्हारी आंखों में टार्च की रोशनी जानबूझकर नहीं लगाई है, बल्कि गलती से तुम्हारी आंख में रोशनी पहुंच गयी है, फिर भी उग्रेन ने साक्षी को गन्दी–गन्दी गालियां दीं और साक्षी के साथ मारपीट की।** तब साक्षी रोते हुए अपने घर आया और अपनी मां लक्ष्मी व बड़ी बहन कल्पना व छोटी बहन मधू के सामने घटना की सभी को जानकारी दी। उक्त घटना के बाद साक्षी की मां लक्ष्मी, साक्षी व उसकी बहनों को साथ लेकर उग्रेन के घर उसके पिता गोवर्धन से उलाहना देने लेकर गयी थी, तब उग्रेन व उसके भाई अशोक, भूरा तथा पिता गोवर्धन ने उलाहना देने पर साक्षी व साक्षी की मां के साथ व दोनों बहनों के साथ गाली गलौज व मारपीट की थी। मारपीट में अभियुक्तगण ने साक्षी, साक्षी की मां तथा साक्षी की दोनों बहनों को लात जूतों से मारापीटा था तथा साक्षी के सिर में उग्रेन ने डण्डा मारा था। **उक्त मारपीट में साक्षी के सिर में**

चोट आई थी और खून निकल आया था, जिसका इलाज साक्षी ने चांदसी अस्पताल में कराया था तथा मारपीट की घटना में साक्षी की बड़ी बहन कल्पना का उग्रेन व उसके भाईयों ने गला पकड़ लिया था और गला दबाया था तथा उसके गले में पहने हुये सोने का मंगलसूत्र छीन लिया था। उक्त मारपीट के समय जब वह लोग चिल्लाये तब उन्हें बचाने के लिये गांव के राकेश, नन्दू व चन्दू आ गये थे और उन्होंने बचाया था। पुलिस व पुलिस अधीक्षक को सूचना देने व कोई कार्यवाही न होने पर साक्षी की मां ने उग्रेन, अशोक, भूरा व गोवर्धन के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा लिखाया था।

15. **उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त उग्रेन द्वारा परिवादिनी व उसके पुत्र व पुत्रियों को लात घूंसों से मारा गया तथा धारदार हथियार से मारपीट की गयी व मां बहिन की गालियां देकर अपमानित किया गया तथा पुत्रियों को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त किया गया व पुत्री कल्पना के गले से 07 फल वाला मंगलसूत्र छीन लिया गया तथा अवैध रूपयों की मांग की गयी?**

16. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा मुख्यतः दो घटनाओं को दर्शाया गया है। प्रथम घटना साक्षी पी०डब्लू०–3 परिवादिनी के पुत्र के साथ अभियुक्त द्वारा कारित किये जाने का कथन किया गया है तथा द्वितीय घटना परिवादिनी व उसकी पुत्रियों के साथ अभियुक्त व उसके परिवारीजन द्वारा कारित किये जाने का कथन किया गया है। प्रथम घटना में अभियुक्त द्वारा साक्षी पी०डब्लू०–3 द्वारा टार्ज दिखाये जाने से उग्र होकर साक्षी पी०डब्लू०–3 के साथ गाली गलौज किये जाने व चप्पल से मारे जाने का कथन किया गया है तथा द्वितीय घटना उक्त गाली गलौज व मारपीट के बावत उलाहना करने हेतु अभियुक्त के घर जाने पर अभियुक्त व उसके परिजनों द्वारा मारपीट, लूट, अभित्रास का कथन किया गया है। प्रस्तुत मामले में किसी भी साक्षी द्वारा फिरौती के बावत कोई कथन नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त को साक्ष्य अभाव में रूपयों की अवैध मांग हेतु आरोपित धारा–387 भा०दं०सं० के तहत दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

17. जहाँ तक अपराध अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० का प्रश्न है तो पत्रावली पर कोई चिकित्सीय दस्तावेज अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु सभी साक्षियों द्वारा साक्षी पी०डब्लू०–3 को अभियुक्त द्वारा पी०डब्लू०–3 की टार्च की रोशनी के कारण उग्र होने व चप्पलों से मारे जाने का कथन किया गया है, जो प्रथमदृष्ट्या सत्य प्रतीत होता है। बचाव पक्ष द्वारा साक्षियों की जिरह में कोई ऐसा तथ्य नहीं लाया गया है, जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त द्वारा साक्षी पी०डब्लू०–3 के साथ मारपीट की घटना कारित न की गयी हो तथा अभियुक्त अपराध अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० के अपराध हेतु दोषसिद्धकिये जाने योग्य है।

18. जहाँ तक लूट के अपराध अन्तर्गत धारा–392 भा०दं०सं० का प्रश्न है तो पी०डब्लू०–2 कल्पना द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह परिलक्षित हो कि उसके पास घटना के समय उक्त सोने का मंगलसूत्र मौजूद रहा हो तथा अभियुक्त द्वारा उक्त मंगलसूत्र की लूट की गयी हो। साक्षीगण का कहना है कि वे लोग अभियुक्त के घर अभियुक्त द्वारा साक्षी

पी०डब्लू०–3 के साथ किये गये अपराध का उलाहना करने गये थे। अभियुक्त के पिता के समक्ष किये गये उलाहना से नाराज होकर अभियुक्त व अन्य लोगों को साक्षी पी०डब्लू०–2 के साथ लूट कारित करने का कथन किया गया है। परिवादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहा गया है कि उक्त मंगलसूत्र को अभियुक्त व उसके भाइयों ने छीना था। उक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा ही उक्त मंगलसूत्र छीना गया हो। साक्षीगण का यह भी कहना है कि उन्हें काफी चोटें आई थीं, परन्तु चोटों के बावत साक्षियों के कथनों में परस्पर भिन्नता है। परिवादिनी व उसका पुत्र व पुत्रियां स्वयं अभियुक्त के घर उलाहना हेतु गये थे तथा उलाहना करने में लूट जैसी घटना कारित हो, यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इस स्तर पर दोनों पक्षों के मध्य हुए विवाद में परिवादिनी द्वारा लूट की घटना को बढ़ा–चढ़ा कर अंकित किया जाना परिलक्षित हो रहा है। अतः अभियुक्त को अन्तर्गत धारा–392 भा०दं०सं० दोषसिद्ध किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं हैं तथा अभियुक्त संदेह का लाभ पाते हुए आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–392 भा०दं०सं० से दोषमुक्त होने योग्य है।

19. जहाँ तक आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–324 भा०दं०सं० का प्रश्न है तो किसी भी साक्षी द्वारा न तो परिवाद पत्र में और न ही न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ बयान में अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार का प्रयोग करते हुए मारपीट करने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है और न ही कोई चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त को साक्ष्य अभाव में उस पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–324 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

20. जहाँ तक आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–504 व 506 भा०दं०सं० का प्रश्न है तो साक्षीगण का यह कथन है कि अभियुक्त उग्रेन व उसके परिवारीजन ने परिवादिनी पी०डब्लू०–1, साक्षी पी०डब्लू०–2 कल्पना व साक्षी पी०डब्लू०–3 अनिल के साथ मारपीट कारित की थी तथा जब वे लोग चिल्लाये तो उन्हें बचाने गांव वाले आ गये थे। साक्षीगण के उक्त कथनों से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साक्षीगण को अपमानित किया गया हो। साक्षीगण द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा कोई धमकी दिये जाने का कथन नहीं किया गया है, मात्र मारपीट किये जाने व उसके उपरान्त गांव वालों के आ जाने का कथन किया गया है। साक्षीगण के उक्त कथनों से यह साबित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया गया हो। अतः अभियुक्त साक्ष्य अभाव में उस पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–504, 506 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

21. उपरोक्त प्रकार से अभियोजन/परिवादी पक्ष की ओर से जिस प्रकृति की साक्ष्य इस प्रकरण में प्रस्तुत हुई है, उसके आधार पर अभियुक्त उग्रेन पर लगा अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित है, जिसके लिये अभियुक्त उग्रेन दोषसिद्ध होने योग्य है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त उग्रेन पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–324, 392, 387, 504, 506 भा०दं०सं० को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, जिसके लिये अभियुक्त उग्रेन दोषमुक्त होने योग्य है।

परिवाद संख्या–46/2014
कम्प्यूटर नं०–22/2014
UPMB010014652014
श्रीमती लक्ष्मी बनाम उग्रेन आदि

<u>आदेश</u>

उग्रेन पुत्र गोवर्धन निवासी मुहाल करारीपुरा, जैतपुर, बेलाताल, थाना कुलपहाड़, जिला महोबा उ०प्र० को परिवाद संख्या–46/2014 थाना कुलपहाड़, जिला महोबा के प्रकरण में अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० दोषसिद्ध किया जाता है तथा अपराध अन्तर्गत धारा–324, 392, 387, 504, 506 भा०दं०सं० के अपराध आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त उग्रेन इस प्रकरण में पूर्व से जमानत पर है तथा आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त उग्रेन को दोषसिद्ध अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० हेतु न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है तथा अभियुक्त उग्रेन के जमानतनामे निरस्त करते हुए प्रतिभुओं को उनके जमानत सम्बन्धी दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्ध उग्रेन को सजा के बिन्दु पर सुना जाना आवश्यक है। अतः पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच उपरान्त प्रस्तुत हो। दोषसिद्ध उग्रेन को सजा के बिन्दु पर सुने जाने हेतु लंच उपरान्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखा जाए।

27.05.2026

(ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०–1)/
विशेष न्यायाधीश, द०प्र०क्षे० अधिनियमम
महोबा। UP02402

27.05.2026 (लंच उपरान्त)

पत्रावली लंच उपरान्त दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। दोषसिद्ध उग्रेन न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। दोषसिद्ध को सजा के बिन्दु पर पूर्व आदेश के अनुक्रम में सुना गया।

दोषसिद्ध की ओर से कहा गया कि यह उसका प्रथम अपराध है। अभियोजन पक्ष द्वारा दोषसिद्ध की प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त किसी मामले में दोषसिद्धि होना नहीं कहा गया है। दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि दोषसिद्ध कमजोर आर्थिक स्थिति वाला शादी शुदा ग्रामीण पुरूष है। दोषसिद्ध के वृद्ध माता–पिता, पत्नी व उसकी एक छोटी पुत्री है, जिनकी देखभाल व भरण पोषण की जिम्मेदारी दोषसिद्ध पर है। अतः दोषसिद्ध को कम से कम दण्ड से या जुर्माने से दण्डित किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा कथन व्यक्त किया गया कि दोषसिद्ध द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है, जिसके लिए उसे अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० दोषसिद्ध किया गया है। अभियोजन साक्ष्य से दोषसिद्ध की अपराध में भूमिका साबित हुई है। उक्त परिस्थितियों में दोषसिद्ध को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है, ताकि समाज में संदेश पहुंच सके कि अपराध कारित करने का परिणाम केवल कठोर दण्ड ही होता है।

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में दण्ड के बिन्दु पर विचार किया गया।

न्यायालय के मत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति एवं दोषसिद्ध की उम्र व अपराध में दोषसिद्ध की भूमिका को दृष्टिगोचर रखते हुए दोषसिद्ध उग्रेन पुत्र गोवर्धन निवासी मुहाल करारीपुरा, जैतपुर, बेलाताल, थाना कुलपहाड़, जिला महोबा उ०प्र० को परिवाद संख्या–46/2014 थाना कुलपहाड़, जिला महोबा के प्रकरण में अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० हेतु 1000/–रूपये (एक हजार) रूपये अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन (पन्द्रह दिन) के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है तो इससे विधि की मंशा पूर्ण होना दर्शित होती है। उपरोक्तानुसार ही दोषसिद्ध दण्डित होने योग्य है।

<u>**दण्डादेश**</u>

दोषसिद्ध उग्रेन पुत्र गोवर्धन निवासी मुहाल करारीपुरा, जैतपुर, बेलाताल, थाना कुलपहाड़, जिला महोबा उ०प्र० को परिवाद संख्या–46/2014 थाना कुलपहाड़, जिला महोबा के प्रकरण में अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० हेतु 1000/–रूपये (एक हजार) रूपये अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन (पन्द्रह दिन) के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्ध उग्रेन की ओर से जमानतें अन्तर्गत धारा–437 ए दं०प्र०सं० प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। अतः दोषसिद्ध को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय दिनांक से 15 दिवस के अन्दर जमानतें अन्तर्गत धारा–437 ए दं०प्र०सं० प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को नियमानुसार निशुल्क प्रदान की जाये।

इस प्रकरण से सम्बन्धित बरामदशुदा माल, यदि कोई हो, अपील अवधि तक सुरक्षित रखा

जाये। अपील न होने की स्थिति में, अपील अवधि के उपरान्त, किसी अन्य विचारण में वांछित न होने पर बरामदशुदा माल का निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित हो तथा अपील होने की स्थिति में बरामदशुदा माल का निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार तथा किसी अन्य न्यायालय में बरामदशुदा माल वांछित होने पर सम्बन्धित सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार माल का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित हो।

27.05.2026

(ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०–1)/
विशेष न्यायाधीश, द०प्र०क्षे० अधिनियमम
महोबा। UP02402

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

27.05.2026

(ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०–1)/
विशेष न्यायाधीश, द०प्र०क्षे० अधिनियमम
महोबा। UP02402

Digitally signed by DHRUVA RAI
Date: 2026.05.27 13:00:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court